समयबद्व

संख्या: 394/चालीस–2023–18–1–2021

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊः– दिनांक 03 अक्टूबर, 2023

विषयः वर्ष 2023–24 के लिये "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" हेतु प्रस्ताव/आवेदन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" दिये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या –1340/चालीस–2001–15(10)/99, दिनांक 03 अगस्त, 2001 द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्वान्त एवं शासनादेश सं0–385/चालीस–2023–18–1–2021, दि0 22 सितम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त मार्गदर्शी सिद्वान्त के अनुसार प्रश्न गत पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताएं निम्नप्रकार निर्धारित की गयी हैः–

1. भारत का मूल नागरिक हो।
2. उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हों,
3. मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्र्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृ्ष्ट योगदान रहा हो।
4. गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार न दिया जा चुका हो।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ठ कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णरूप समर्पित रहे हों, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरू गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस (5 जनवरी) पर "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" प्रदान किये जाने व रूपये एक लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति–पत्र दिये जाने की व्यवस्था् की गयी है।

3— अत आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रत्येक जनपद से इस पुरस्कार के मापदण्डों को पूरा करने वाले पात्र महानुभावों के न्यूनतम एक–एक प्रस्ताव , उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का तथ्यात्माक विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ संलग्न प्रारूप में स्पष्ट, आख्या एवं संस्तुति सहित शासन को प्रत्येक दशा में दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक चार प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 22.09.2023 के प्रस्तर 3 में उक्त समयावधि दिनांक 30.09.2024 टंकण त्रुटिवशं अंकित हो गयी थी जो सही तिथि 30.09.23 है।

4— उक्त मार्ग–दर्शी सिद्वान्त में निर्धारित प्रक्रियानुसार समाचार पत्रों व अन्यं प्रसार माध्यमों से प्रचार–प्रसार करके निर्धारित प्रारूप में पुरस्कार हेतु पात्र व्याक्तियों के आवेदन पत्र/नामांकन को संकलित कर उक्त निर्धारित तिथि तक शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5— जिन महानुभावों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है, उनके संम्बन्ध में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त आख्या मे व्यापक जॉच कर तथ्यात्मक विवरण अभिलेखीय साक्ष्य सहित यह भी प्रमाण–पत्र अंकित किया जाय कि उनके विरूद्व कोई अपराधिक मामला प्रचलित/लम्बित नहीं है और किसी भी आपराधिक मामले में किसी न्यायालय द्वारा उन्हें दण्डित नहीं किया गया है।

6— यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्य के लिए जनपद के वरिष्ठ अधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा जाय एवं योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः— 394— / चालीस—2023—18—1—2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक, उ0प्र0 पंजाबी अकादमी—444 चतुर्थ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2— निदेशक, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन हिन्दी भवन,6— महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

3— सचिव, उ0प्र0 उर्दू अकादमी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

4— निदेशक, उ0प्र0 सिंधी अकादमी—पंचम तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5— निदेशक, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ।

6— सचिव, फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, विभूति खण्ड , गोमती नगर, लखनऊ।

7— सचिव, हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयागराज।

8— निदेशक, उ0प्र0 भाषा संस्थान, सप्तम तल, इंदिरा भवन, लखनऊ ।

9— अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुसूचित जाति जनजाति/अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10— कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

11— निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त पुरस्कार के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।

12— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
संयुक्त सचिव।